स्कूल रिपोर्ट कार्ड: पेयजल और शौचालय

ऐन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट 2018 से

Annual Status of Education Report
असर ASER 2018 RURAL
Facilitated by PRATHAM

भारत ग्रामीण

विश्लेषण सरकारी विद्यालयों से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित हैं। 619 में से 596 ज़िले।

विद्यालय अवलोकन (पेयजल और शौचालय)

हर चयनित गाँव में, सर्वेक्षण के लिए प्राथमिक कक्षाओं के सबसे अधिक नामांकन वाले सरकारी विद्यालय का अवलोकन किया जाता है। इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी इन्हीं अवलोकनों पर आधारित है।

टेबल 1: समय के साथ बदलाव
कुल विद्यालय जिनका अवलोकन किया गया
2010, 2012, 2014, 2016 और 2018

	2010	2012	2014	2016	2018
प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I-IV/V)	8419	8774	8858	9675	9177
उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I-VII/VIII)	5821	5888	6378	6007	6821
कुल विद्यालय जिनका अवलोकन किया गया	14240	14662	15236	15682	15998

टेबल 2: समय के साथ बदलाव
% विद्यालय जिनमें चयनित सुविधाएँ हैं
2010, 2012, 2014, 2016 और 2018

		2010	2012	2014	2016	2018
पेयजल	कोई सुविधा नहीं	17.0	16.7	13.9	14.8	13.9
	सुविधा है परन्तु प्रयोग करने योग्य नहीं	10.3	10.3	10.5	11.2	11.3
	सुविधा प्रयोग करने योग्य	72.7	73.0	75.6	74.1	74.8
	कुल	100	100	100	100	100
शौचालय	कोई सुविधा नहीं	11.0	8.5	6.3	3.5	3.0
	सुविधा है परन्तु प्रयोग करने योग्य नहीं	41.8	35.2	28.5	27.8	22.8
	सुविधा प्रयोग करने योग्य	47.2	56.4	65.2	68.7	74.2
	कुल	100	100	100	100	100
लड़कियों के लिए शौचालय	कोई सुविधा नहीं	31.2	21.4	18.8	12.5	11.5
	सुविधा है परन्तु ताला लगा था	18.7	14.2	12.9	11.5	10.5
	सुविधा है परन्तु प्रयोग करने योग्य नहीं	17.2	16.4	12.6	14.1	11.7
	सुविधा प्रयोग करने योग्य	32.9	48.1	55.7	61.9	66.4
	कुल	100	100	100	100	100

चार्ट 1: समय के साथ बदलाव
% विद्यालय जिनमें चयनित सुविधाएँ हैं: पेयजल, शौचालय और लड़कियों के लिए शौचालय
2010, 2012, 2014, 2016 और 2018

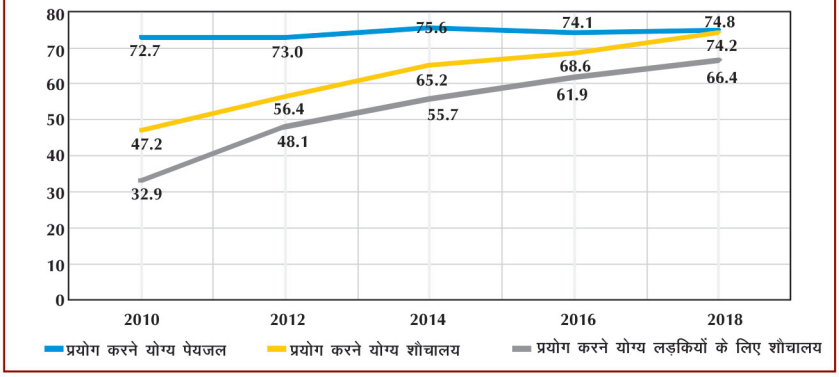

असर के बारे में

ऐन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (असर) बच्चों की नामांकन स्थिति और बुनियादी पढ़ने और गणित करने की क्षमता का घरों में किया जाने वाला सर्वेक्षण है। प्रथम द्वारा सुगमित, असर 2005 से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। हर ज़िले में असर एक स्थानीय संस्था के स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है।

2018 में असर 596 ज़िलों, 17,730 गाँवों, 354,944 घरों और 546,527 बच्चों तक पहुँचा। 573 संस्थाओं और 30,000 स्वयंसेवकों ने इस प्रयास में भाग लिया।

यह तेहरवीं असर रिपोर्ट है।

RTE अधिनियम 2009 कुछ समय के लक्ष्य के साथ एक कानूनी रूप से लागू अधिकारों की रूपरेखा प्रदान करता है जिसका सरकारों को पालन करना चाहिए। अधिनियम में अन्य बातों के अलावा, **"बाधा मुक्त पहुँच वाले लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय और सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा है।"**

सितम्बर 2014 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय (SBSV) ये भी निर्देशित करता है:

'दैनिक प्रावधान है कि बाल सुलभ और टिकाऊ सुरक्षित पेयजल और हाथ धोने के लिए पर्याप्त पानी होद्य इसके अतिरिक्त, स्कूल की सफाई और भोजन तैयार करने और खाना पकाने के लिए पानी हो। पूरे विद्यालय में पेयजल के सुरक्षित संचालन और भंडारण का अभ्यास किया जाना चाहिए।

लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय, एक इकाई के साथ आम तौर पर एक शौचालय (WC) और 3 मूत्रालय होने चाहिए। प्राथमिकता के साथ अनुपात बनाए रखने के लिए प्रत्येक 40 छात्रों पर एक इकाई है।[1]

[1]http://unicef.in/Whatwedo/39/Clean-India-Clean-Schools

टेबल 3: राज्य के अनुसार चयनित विद्यालय संकेतकों के सन्दर्भ में विद्यालयों का प्रदर्शन 2018

राज्य	कुल विद्यालय जिनका अवलोकन किया गया	% विद्यालय जिनमें									
		पेयजल			शौचालय			लड़कियों के लिए शौचालय			
		कोई सुविधा नहीं	सुविधा है परन्तु प्रयोग योग्य नहीं	सुविधा प्रयोग करने योग्य	कोई सुविधा नहीं	सुविधा है परन्तु प्रयोग योग्य नहीं	सुविधा प्रयोग करने योग्य	कोई सुविधा नहीं	सुविधा है परन्तु ताला लगा था	सुविधा है परन्तु प्रयोग योग्य नहीं	सुविधा प्रयोग करने योग्य
आन्ध्र प्रदेश	379	12.7	29.2	58.1	2.9	10.6	86.4	8.9	4.2	5.9	81.1
अरुणाचल प्रदेश	159	35.9	19.5	44.7	12.0	38.0	50.0	42.3	16.8	12.8	28.2
असम	714	17.5	14.5	68.0	3.1	75.7	21.2	13.3	62.3	8.6	15.9
बिहार	1100	3.5	6.8	89.7	3.4	21.1	75.6	16.7	9.1	11.2	63.0
छत्तीसगढ़	468	7.9	9.6	82.5	2.1	12.2	85.7	10.1	3.2	11.0	75.7
गुजरात	644	6.4	5.6	88.0	0.2	8.5	91.3	2.6	1.1	8.8	87.4
हरियाणा	613	11.6	6.4	82.0	0.7	8.5	90.8	4.8	2.3	8.5	84.4
हिमाचल प्रदेश	293	5.5	5.1	89.4	0.3	5.5	94.2	5.5	2.1	6.2	86.3
जम्मू और कश्मीर	376	36.6	8.9	54.6	4.6	22.5	73.0	30.2	7.4	14.3	48.2
झारखंड	674	6.6	10.9	82.6	2.4	22.7	74.9	5.6	8.6	13.3	72.5
कर्नाटक	848	13.4	9.9	76.8	3.3	25.9	70.8	7.6	18.8	7.1	66.4
केरल	279	2.2	44.9	52.9	0.0	10.6	89.4	3.3	8.5	4.8	83.4
मध्य प्रदेश	1451	16.8	12.2	71.0	5.2	26.5	68.3	18.6	7.9	17.0	56.5
महाराष्ट्र	927	15.7	13.4	70.9	1.7	28.2	70.1	6.6	14.6	14.9	63.9
मणिपुर	158	88.9	4.6	6.5	14.7	40.4	44.9	64.0	15.4	5.2	15.4
मेघालय	143	76.1	8.5	15.5	7.0	48.3	44.8	37.3	20.9	11.9	29.9
मिज़ोरम	233	39.6	3.0	57.4	17.6	37.8	44.6	29.8	30.7	4.6	34.9
नागालैंड	289	63.8	8.9	27.3	5.9	32.3	61.8	26.9	18.1	8.0	47.0
उड़ीशा	812	8.0	9.1	82.9	3.0	21.4	75.7	9.6	5.2	16.0	69.3
पंजाब	554	7.6	9.6	82.7	0.0	10.5	89.5	3.4	2.4	10.3	83.9
राजस्थान	837	17.5	9.7	72.8	1.3	13.8	84.9	4.0	3.6	11.5	80.9
सिक्किम	108	15.1	10.4	74.5	0.0	17.6	82.4	3.7	7.5	13.1	75.7
तमिल नाडू	750	9.7	10.1	80.2	0.8	9.0	90.2	3.9	3.9	6.0	86.2
तेलंगाना	259	20.4	22.4	57.2	3.5	19.5	77.0	8.7	8.7	10.7	71.9
त्रिपुरा	115	39.5	14.9	45.6	6.1	40.9	53.0	37.4	20.6	9.4	32.7
उत्तर प्रदेश	1998	3.3	11.5	85.1	3.0	24.4	72.7	8.4	6.5	17.9	67.2
उत्तराखंड	296	13.2	11.2	75.6	1.7	12.5	85.8	17.8	5.1	9.9	67.2
पश्चिम बंगाल	441	8.0	10.7	81.3	0.7	18.2	81.1	14.5	12.2	5.7	67.7
संपूर्ण भारत	**15998**	**13.9**	**11.3**	**74.8**	**3.0**	**22.8**	**74.2**	**11.5**	**10.5**	**11.7**	**66.4**

1. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, पुदुच्चेरी और गोआ के पृष्ठ इस रिपोर्ट में अपर्याप्त सैम्पल साइज़ के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
2. आन्ध्र प्रदेश वर्ष 2014 में तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश में विभाजित हुआ। इसी कारण से, जनगणना 2011 के सैम्पल फ्रेम में इन नए राज्यों का विभाजन नहीं है। अविभाजित आन्ध्र प्रदेश के 22 ज़िलों में से, 9 ग्रामीण ज़िले तेलंगाना में स्थित हैं और बचे हुए 13 ज़िले आन्ध्र प्रदेश में स्थित हैं। इन दोनों राज्यों के लिए असर के आँकड़े ज़िलों के इस विभाजन पर आधारित हैं।
3. सुरक्षा और/या "लॉजिस्टिकल" बाधाओं के कारणों से, असर 2018 जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल के कुछ ज़िलों तक नहीं पहुँच पाया।

ऐसे आँकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिनके लिए सैम्पल अपर्याप्त है।